

Evaluation Form

Local Audit Department, Himachal Pradesh, Shimla-171009.
Criteria of Evaluation for 100 marks for the post of Peon (Class-IV)
(To be filled by candidate)

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 marks	Marks	Marks claimed by the candidate
1	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. (for example, a candidate getting 50% marks in matric will be given 42.5 marks)	85 (Eighty Five)	
2	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (One)	
3	Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	2 (Two)	
4	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	2.5 (Two & half)	
5	Differently abled persons with more than 40% impairment/Disability/infirmity.	1 (One)	
6	NSS (at least one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1 (One)	
7	BPL family having family annual income (from all sources) below ₹40000 or as prescribed by the Govt. from time to time.	2.5 (Two & half)	
8	Widow/divorced/destitute/single women.	1.5 (One & half)	
9	Single daughter/Orphan.	1 (One)	
10	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year)	2.5 (Two & half)	
Total		100 (Hundred)	

Note:-Wherever marks are claimed, candidate is required to attach attested/self-attested copy of marks sheet/certificate and to show the original to Department when called to do so.

Encls:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

Signature of the Candidate

Name _____

Address _____

मूल्यांकन प्रपत्र

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
चपड़ासी (वर्ग-IV) के पद के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड
(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र०सं०	100 अंकों के मापदंडों का विवरण	अंक	उम्मीदवार द्वारा दावा किये गये अंक
1	क्वालीफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे)	85	
2	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	1	
3	भूमिहीन परिवार/परिवार के पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	2	
4	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	
5	40% से अधिक स्थाई/विशेष रूप से सक्षम/दिव्यांग।	1	
6	एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) एन०सी०सी०/भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	1	
7	बी०पी०एल० परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2.5	
8	विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला।	1.5	
9	एकल बेटी/अनाथ।	1	
10	सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2.5	

नोट:- जहाँ भी अंकों का दवा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक पत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी और बुलाये जाने पर मूल प्रमाण पत्र विभाग को दिखाना होगा।

अनुलग्नक:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____
